



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102021-230846
CG-DL-E-30102021-230846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]
No. 325]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 30, 2021/कार्तिक 8, 1943
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 2021/KARTIKA 8, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2021

फा. सं. पी- 37022/3/2020-आईसी.—भारत सरकार एतद्वारा सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन करती है, जो पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के विकास और कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी तंत्र होगा। इस ईजीओएस में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

क्रम सं.	पदनाम	ईजीओएस में पदनाम
1.	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	सदस्य
3.	सचिव, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	सदस्य
5.	सचिव, नागर विमानन मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, विद्युत मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, दूरसंचार विभाग	सदस्य

9.	सचिव, कोयला मंत्रालय	सदस्य
10.	सचिव, खान मंत्रालय	सदस्य
11.	सचिव, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	सदस्य
12.	सचिव, उर्वरक विभाग	सदस्य
13.	सचिव, इस्पात मंत्रालय	सदस्य
14.	सचिव, व्यय विभाग	सदस्य
15.	सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	सदस्य
16.	सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	सदस्य
17.	सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	सदस्य
18.	सचिव, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	सदस्य
19.	सचिव, पर्यटन मंत्रालय	सदस्य
20.	लॉजिस्टिक्स प्रभाग के अध्यक्ष	सदस्य संयोजक

ईजीओएस आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य सचिव या सचिवों को शामिल कर सकता है।

2. सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) द्वारा विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - 1) योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करना ताकि उससे प्राप्त होने वाली लॉजिस्टिक्स दक्षता का निर्धारण किया जा सके;
 - 2) योजना में कोई संशोधन करने के लिए फ्रेमवर्क और मानदंडों को अंगीकार करना;
 - 3) विनिर्दिष्ट फ्रेमवर्क और मानदंडों के भीतर योजना में पहले से शामिल परियोजनाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन हेतु समन्वय करना;
 - 4) प्रायोगिक आधार पर अवसंरचना के विकास के लिए किसी क्षेत्र-आधारित दृष्टिकोण के मामले में सभी सुविधा सेवाओं के साथ-साथ सड़क, रेल आदि के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों के बीच तालमेल के लिए एक प्रक्रिया और एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित करना;
 - 5) एक साझा एकीकृत पोर्टल के विकास संबंधी विभिन्न पहलों को एक-साथ लाना जो सभी हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करे;
 - 6) पीएम गतिशक्ति एनएमपी के उद्देश्यों की प्राप्ति और उसके मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन तथा संबंधित मंत्रालयों के मांग संबंधी आवश्यकताओं के समाधान के लिए समुचित निर्देश जारी करना।
 - 7) यह ईजीओएस इस्पात, कोयला, उर्वरक आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकताओं के आधार पर थोक माल के दक्षतापूर्ण परिवहन के मामले में, मांग संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्यकलापों की भी निगरानी करेगा।
3. लॉजिस्टिक्स प्रभाग, सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह के विचारार्थ विषयों हेतु इसके सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

[फा. सं. पी- 37022/3/2020-आईसी]

राजेंद्र रत्नू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2021

F. No. P-37022/3/2020-IC.—Government of India hereby constitutes an Empowered Group of Secretaries (EGoS), which will be a monitoring mechanism for the development and implementation of the PM GatiShakti National Master Plan (NMP). The composition of EGoS is as under :—

Sl. No.	Designation	Status
1.	Cabinet Secretary	Chairperson
2.	Chairman, Railway Board	Member
3.	Secretary, Ministry of Road, Transport & Highways	Member
4.	Secretary, Ministry of Ports, Shipping & Waterways	Member
5.	Secretary, Ministry of Civil Aviation	Member
6.	Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas	Member
7.	Secretary, Ministry of Power	Member
8.	Secretary, Department of Telecommunications	Member
9.	Secretary, Ministry of Coal	Member
10.	Secretary, Ministry of Mines	Member
11.	Secretary, Department of Chemicals & Petro-Chemicals	Member
12.	Secretary, Department of Fertilizers	Member
13.	Secretary, Ministry of Steel	Member
14.	Secretary, Department of Expenditure	Member
15.	Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Member
16.	Secretary, Department of Food and Public Distribution	Member
17.	Secretary, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare	Member
18.	Secretary, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying	Member
19.	Secretary, Ministry of Tourism.	Member
20.	Head of Logistics Division	Member Convenor

EGoS can co-opt any other Secretary or Secretaries as per requirement.

2. The Empowered Group of Secretaries (EGoS) shall have the following terms of reference:

- 1) Review and monitor implementation of the Plan to ascertain the logistics efficiency accruing thereof;
- 2) Adopt framework and norms for undertaking any amendments in the Plan;
- 3) Coordinate for any changes in the projects already included in the Plan, within the prescribed framework and norms;
- 4) To set out a procedure and a definitive timeframe for synchronisation of various activities for construction of roads, rail, etc. along with all utility services in an area-based approach for development of infrastructure on pilot basis;
- 5) Align various initiatives on development of a common integrated portal which serves the needs of all stakeholders;
- 6) Issue appropriate directions for achieving the objectives and for compliance to guiding principles of the PM GatiShakti NMP and in addressing demand side requirements of concerned Ministries.

- 7) The EGoS will also look at the interventions required to meet the demand side, in efficiently transporting bulk goods based on the requirements of various Ministries like Steel, Coal, Fertilizer etc.
3. The Logistics Division will act as Secretariat to the Empowered Group of Secretaries for its ToRs.

[F. No. P- 37022/3/2020-IC]

RAJENDRA RATNOO, Jt. Secy.